

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-501/13

संस्थित दिनांक-18.06.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी,
जिला बालाघाट म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

येतु उर्फ अयतू पिता लिमू मरकाम, उम्र-43 वर्ष,
निवासी-ग्राम अरण्डी, थाना गढ़ी जिला बालाघाटअभियुक्त

—:: **निर्णय** ::—

दिनांक-29.07.2017 को घोषित:-

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 427 एवं धारा-3/181, 146/196, 134/187, 51/177, 130(3)/177 मो. व्ही.एक्ट का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-30.03.2013 को सुबह 10:00 बजे, स्थान अरण्डी और पोंडी के बीच मेन रोड थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल बजाज बाक्सर बी.एम.150 बिना नम्बर की, जिसका चेचिस नम्बर-एम. डी. 2 पी. एफ. पी. आई. 22 यू. पी. एफ. 07697 तथा इंजन नम्बर-पी.एफ.यू.बी.यू.एफ. 07700 है, को उतावलेपन या उपेक्षा से चलकार मानव जीवन संकटापन्न कर, आहत कुमारी सुषमा को टक्कर मारकर उपहति कारित की, आहत कुमारी सुषमा की साईकिल को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाकर रिष्टी कारित कर, उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस के चालन कर, उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया, उक्त वाहन का चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात् वाहन को छोड़कर भाग गये व आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र 24 घण्टे के भीतर सूचना नहीं दी, उक्त वाहन पर नम्बर नियमानुसार नहीं पाए गए, उक्त वाहन का मौके पर रजिस्ट्रेशन बीमा फिटनिस आदि दस्तावेज पेश नहीं किये।

2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दिनांक-19.07.2017 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 427 के आरोप

से दोषमुक्त किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो. व्ही.एक्ट की धारा-3/181, 146/196, 134/187, 51/177, 130(3)/177 राजीनामा योग्य नहीं होने से उक्त धाराओं में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।

3- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कु. सुषमा ने थाना गढ़ी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक-30.03.2013 को वह अपनी सहेली शकुन्तला मेरावी एवं मनीषा पन्द्रे के साथ साईकिल से ग्राम पोण्डी स्कूल जा रही थी, तभी ग्राम अरण्डी व पोण्डी के बीच पोण्डी की तरफ से येतू मरकाम मोटरसाईकिल को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया और उसे टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से फरियादी के घुटने में तथा जांघ में चोट लगी थी। घटना को शुकुन्तला मेरावी व मनीषा पन्द्रे ने देखा था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गढ़ी में अपराध क्रमांक-17/13 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्त को तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई गई थी तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक-30.03.2013 को सुबह 10:00 बजे, स्थान अरण्डी और पोंडी के बीच मेन रोड थाना गढ़ी अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाईकिल बजाज बाक्सर बी.एम.150 बिना नम्बर की, जिसका चेचिस नम्बर-एम. डी. 2 पी. एफ. पी. आई. 22 यू. पी. एफ. 07697 तथा इंजन नम्बर-पी.एफ.यू.बी.यू.एफ. 07700 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलकार मानव जीवन संकटापन्न किया था ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस के चालन किया था ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया था ?
4. क्या अभियुक्त उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात् वाहन को छोड़कर भाग गया व आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र 24 घण्टे के भीतर सूचना नहीं दी थी ?
5. क्या उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त के उक्त वाहन पर नम्बर नियमानुसार नहीं पाए गए थे ?
6. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का मौके पर रजिस्ट्रेशन बीमा फिटनिस आदि दस्तावेज पेश नहीं किया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निराकरण

6— सुषमाबाई अ.सा.1, मनीषा अ.सा.2 का कथन है कि घटना उनके न्यायालयीन कथनों से चार वर्ष पूर्व सुबह 10:00 बजे कि ग्राम झरकंडी और पोण्डी के बीच में रोड की है। घटना के समय मोटरसाईकिल चालक मोटरसाईकिल चलाकर लाया था। मोटरसाईकिल कैसे चल रही थी। उक्त साक्षीगण नहीं जानती हैं। साक्षीगण मोटरसाईकिल चालक का नाम नहीं जानती हैं एवं उन्हें मोटरसाईकिल का नंबर पता नहीं है। सुषमाबाई अ.सा.1 का कथन है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना गढ़ी में लिखाई थी, जो प्रदर्श पी-1 है तथा उसकी साईकिल का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-2 है। अभियोजन द्वारा दोनों साक्षीगण को पक्षविरोधी घोषित कर दोनों साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर दोनों साक्षीगण की साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

7— खेमराज राणा अ.सा.3 का कथन है कि उसने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-5 बनाया था एवं गवाहों के समक्ष नुकसानी

पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया था। अभियुक्त को प्रदर्श पी-7 के गिरफ्तारी पंचनामों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसने साक्षी सुषमाबाई एवं मनीषा के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था तथा वाहन का परीक्षण कराया था।

8— साक्षी सुषमाबाई अ.सा.1 एवं मनीषा अ.सा.2 ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में इस विचारण बिन्दु की घटना का समर्थन नहीं किया है। राजीनामा होने के कारण प्रकरण में अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य नहीं कराई गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा कराए गए परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल को उतावलेपन या उपेक्षा से चलकार मानव जीवन संकटापन्न किया था।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 2 से 6 का निराकरण:-

9— विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 से 6 एक-दूसरे संबंधित होने से सभी बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

10— सुषमाबाई अ.सा.1, मनीषा अ.सा.2 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानती है। खेमराज राणा प्रधान आरक्षक अ.सा.3 का कहना है कि उसने दिनांक-11.04.2013 को वाहन चालक से वाहन जप्त कर प्रदर्श पी-6 का जप्तीपत्रक तैयार किया था। अभियुक्त ने वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये थे और न ही स्वयं का ड्राइविंग लायसेंस पेश किया था। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 51/177, 134क, 130(3)/177, 146/196 बढ़ाई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रधान आरक्षक नजीम खान द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर प्रधान आरक्षक नजीम खान के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने नजीम खान प्रधान आरक्षक के साथ कार्य किया है, इस कारण साक्षी उनके हस्ताक्षर को पहचानता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक-30.03.2013 को हुई थी। अभियुक्त की मोटरसाईकिल बिना नंबर की थी, जिसका चेचिस नंबर MD2PFPF22UP07697 एवं इंजन नंबर

PFUBUF07700 है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि मोटरसाईकिल दिनांक-20.06.2012 से दिनांक-19.06.2013 तक बीमित थी। प्रकरण की घटना दिनांक-30.03.2013 की है। अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल का घटना दिनांक के बीमा की प्रति प्रस्तुत की है। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल को बिना बीमा के चलाया था। अभियुक्त ने प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल को घटना दिनांक को बिना वैध लायसेंस के चलाया था एवं दुर्घटना होने के पश्चात् वाहन को छोड़कर भाग गया था। आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर उक्त संबंध में पुलिस थाना में 24 घंटे के भीतर सूचना नहीं दी थी एवं प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल जिसको अभियुक्त चला रहा था उस पर नियम अनुसार नंबर नहीं पाए गए थे एवं उक्त वाहन मोटरसाईकिल के पुलिस अधिकारी को उसके द्वारा अभियुक्त से दस्तावेज मांगने पर बीमा, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेज पेश नहीं किये थे। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना वैध लाईसेंस के चालन कर, उक्त वाहन का चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात् वाहन को छोड़कर भाग गये व आहत को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न करवाकर तथा उक्त के संबंध में पुलिस थाने में यथाशीघ्र 24 घण्टे के भीतर सूचना नहीं दी थी। उक्त वाहन पर नम्बर नियमानुसार नहीं पाए गए थे। उक्त वाहन का मौके पर रजिस्ट्रेशन बीमा फिटनेस आदि दस्तावेज पेश नहीं किये थे।

11- प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का आरोप एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त

के विरुद्ध मोटर व्हीकल की धारा-3/181, 134/187, 51/177, 130(3)/177 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 134/187 के आरोप में क्रमशः 300/-, 300/- रुपये के अर्थदण्ड से, मोटर व्हीकल की धारा-51/177 में 100/-रुपये के अर्थदण्ड से एवं मोटर व्हीकल की धारा-130(3)/177 में 100/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशियों का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को मोटरयान अधिनियम की धारा-3/181, 134/187 में क्रमशः 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे तथा मोटरयान अधिनियम की धारा-51/177, 130(3)/177 में अर्थदण्ड की राशियों का भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को क्रमशः 7-7 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

12- प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

13- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14- प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला-बालाघाट